Details of Scholarships under Dr. Ambedkar Medhavi Chhattar Yojana

33 Smt. GEETA BHUKKAL, (Jhajjar):-

Will the Welfare of SCs & BCs Minister be pleased to state:-

a. the status of implementation of Dr. Ambedkar Medhavi Chhattar Yojana and other scholarship schemes for students belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in educational institutions of State;

b. the criteria of eligibility for the above said scholarships; and

c. the yearwise details of payment made by the Government as scholarship to the students belonging to Scheduled Castes and Backward Classes from the year 2019-20 till to date in State togetherwith the number of students benefitted?

Dr. BANWARI LAL, **Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Minister, Haryana.**

Reply

Madam,

A statement is laid on the table of the House.

a. **the status of implementation of Dr. Ambedkar Medhavi Chhattar Yojana and other scholarship schemes for students belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in educational institutions of State**

1) **Dr. Ambedkar Medhavi Chhattar Sanshodhit Yojana-** Under the scheme Dr. Ambedkar Medhavi Chhatar Sanshodhit Yojna, an incentive ranging from Rs.8000/- to Rs. 12,000/- is provided to the meritorious students of Scheduled Caste, Vimukt Jati, Nomadic, Semi Nomadic, Tapriwas Jati when they complete their 10^{th} or 10+2 or Graduation and take admission in 10+1 or Graduation degree 1^{st} year or Post Graduation 1^{st} year respectively. In case of meritorious students of Backward Class/others category of the society, an incentive of Rs. 8000/- is provided when they complete 10^{th} class and take admission in 11^{th} class. Online applications for the year 2022-23 are invited from students from 01-12-2022 to 31-01-2023.

2) **Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled castes-** Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes was 100% Centrally Sponsored Scheme till 2020-21. From the Year 2021-22, the scheme has been implemented on 60:40 share basis between center and state. Under this scheme, students studying in Post-Matric classes are awarded scholarship ranging from 2500/- to Rs 13500/- per year as Academic Allowance along with all compulsory non refundable fees, provided the annual income of the parents/guardians does not exceed Rs. 2.50 lac. Online applications are invited w.e.f 07-10-2022.

3) **Post Matric Scholarship Scheme for Other Backward Classes**-Post Matric Scholarship Scheme for Other Backward Classes was 100% Centrally Sponsored till 2021-22. From the Year 2022-23, New Name "PM YOUNG ACHIEVERS SCHOLARSHIP AWARD SCHEME FOR VIBRANT INDIA FOR OBCs AND OTHERS (PM–YASASVI)" it became 60:40 sharing ratio between Centre and State. Under this scheme, students studying in Post-Matric classes are awarded scholarship ranging from 5000/- to Rs 20000/- per year as Academic Allowance & Tuition Fees. The annual income of the parents/guardians should not exceed Rs.2.50 lacs. Online applications are invited w.e.f 07-10-2022.

From academic year 2018-19, Post Matric Scholarship Scheme (SCs &BCs) is being implemented by Higher Education Department, Technical Education Department, Medical Education and Research Department, Skill Development and Industrial Training Department, School Education Department.

b. **the criteria of eligibility for the above said scholarships; and**

1) **Dr. Ambedkar Medhavi Chhattar Sanshodhit Yojana-**The candidate must belong to the Scheduled Caste, Vimukt Jati, Nomadic, Semi Nomadic, Tapriwas Jatis or Backward Classes/Others category of the society of Haryana State. The Annual family income from all sources should not exceed from Rs. 4.00 lacs. The minimum percentage of marks and rate of incentive is as under :-

Sr. No.	**Examination to be passed for incentive (i)**	**Minimum Percentage of marks required**		**Courses in which incentive is provided (iv)**	**Rate of incentive (Amount in Rs.) (v)**
		Urban (ii)	**Rural (iii)**		
1.	**Students belong to the Scheduled Castes, Vimukat Jati, Nomadic, Semi Nomadic, Tapriwas Jatis.**				
	Matric	70	60	11th and 1st year of all diploma/ certificate courses.	8000/-
	10+2	75	70	<u>1st year of Graduation course in:</u> 1. Arts, 2. 1st year of Commerce/Science and all Diploma/ Certificate courses 3. Engineering and other Technical/ Vocational courses 4. Medical and allied courses	 8000/- 9000/- 10000/-
	Graduation	65	60	<u>1st year of Post Graduation in:</u> 1. Arts/Commerce/Science 2. Engineering and other Technical/ Vocational courses 3. Medical and allied courses	 9000/- 11000/- 12000/-
2.	**Students belonging to Backward Classes (Block-A)**				
	Matric	70	60	11th and 1st year of all diploma/certificate courses	8000/-
3.	**Students belonging to Backward Classes (Block-B) and Others category of the society**				
	Matric	80	75	11th and 1st year of all diploma/certificate courses	8000/-

2) **Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes-** students studying in Post-Matric classes are awarded scholarship ranging from 2500/- to Rs 13500/- per year as Academic Allowance along with all compulsory non refundable fees, provided the annual income of the parents/guardians should not exceed Rs. 2.50 lac.

3) **Post Matric Scholarship Scheme for Other Backward Classes-** Under this scheme, students studying in Post-Matric classes are awarded scholarship ranging from 5000/- to Rs 20000/- per year as Academic Allowance & Tuition Fees. The annual income of the parents/guardians should not exceed Rs. 1.50 lacs till 2019-20 and revised to Rs.2.50 lacs w.e.f 2020-21.

c. **the year-wise details of payment made by the Government as scholarship to the students belonging to Scheduled Castes and Backward Classes from the year 2019-20 till to date in State together with the number of students benefitted?**

1) **Dr. Ambedkar Medhavi Chhattar Sanshodhit Yojana**-the year-wise details of beneficiaries and expenditure from the year 2019-20 is as under-

(Rs. in Lac)

Year	Expenditure	No of Beneficiaries	
		Scheduled Castes	Backward Classes
2019-20	3487.45	25878	18608
2020-21	3507.42	25080	26390
2021-22	2499.15	21503	9288
2022-2023 (up to 30-11-2022	2117.90	16796	8363

Note-the expenditure during the year 2022-23 has been incurred for pending applications of 2021-22. Applications for the year 2022-23 has been invited from 01-12-2022 to 31-01-2023.

2) **Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes-** the year-wise details of beneficiaries and expenditure from the year 2019-20 is as under-

(Rs. in Lac)

Year	Expenditure	No of Beneficiaries
2019-20	3029.88	31604
2020-21	9859.58	42597
2021-22	9888.05	50735

3) **Post Matric Scholarship Scheme for Other Backward Classes-** the year-wise details of beneficiaries and expenditure from the year 2019-20 is as under-

(Rs. in Lac)

Year	Expenditure	No of Beneficiaries
2019-20	85.64	5627
2020-21	458.82	33424
2021-22	1401.49	31352

****

डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों का ब्यौरा

33 **श्रीमती गीता भुक्कल, (झज्जर):**

क्या अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग मंत्री कृपया बतांएगे कि

क) राज्य के शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना तथा अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

ख) उपरोक्त छात्रवृत्तियों के लिए अर्हता का मानदंड क्या है; तथा

ग) राज्य में वर्ष 2019–20 से आज तक अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में सरकार द्वारा किए गए भुगतान का वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा लाभान्वित हुए छात्रों की संख्या कितनी है?

डॉ बनवारी लाल, **अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री, हरियाणा**

उत्तर

महोदया जी,

सूचना विधानसभा सदन के पटल पर रखी है ।

क) राज्य के शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना तथा अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

1) **डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्र संशोधित योजना**—डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्र संशोधित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू, अर्ध घुमंतू, टपरीवास जाति के मेधावी छात्रों को जब वे अपनी 10वीं या 12वीं या स्नातक पास करते हैं और क्रमशः 11वी, स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते है, तो 8000 रुपये से 12,000 रूप्ये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पिछड़ा वर्ग/समाज के अन्य वर्ग के मेधावी छात्र—छात्राओं को जब वे 10 वीं कक्षा पास करते हैं और 11 वीं कक्षा में प्रवेश लेते हैं, तो तो 8000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2022—23 के लिए छात्रों से दिनांक 01—12—2022 से 31—01—2023 तक ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।

2) **अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**— अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2020—21 तक 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजना थी। वर्ष 2021—22 से यह योजना केन्द्र तथा राज्य के 60:40 शेयर आधार पर लागू की गई है। इस योजना के तहत पोस्ट—मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष सभी अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क के साथ शैक्षणिक भत्ता के रूप में 2500 रुपये से लेकर 13500 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, बशर्ते माता—पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिनांक 07.10.2022 से आनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गए है।

3) **अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**— अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021—22 तक 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित थी। वर्ष 2022—23 से, नया नाम **"पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर ओबीसी और अन्य (पीएम—यस्सवी)"** यह केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का शेयर बेसिज कर दी गई है। इस योजना के तहत पोस्ट—मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष शैक्षणिक भत्ता और शिक्षण शुल्क के रूप में 5000 रुपये से लेकर 20000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। माता—पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिनांक 07.10.2022 से आनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गए है।

शैक्षणिक वर्ष 2018—19 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग) का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकि शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

ख) उपरोक्त छात्रवृत्तियों के लिए अर्हता का मानदंड क्या है; तथा

1) **डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना**— हरियाणा राज्य के उम्मीदवार अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू, अर्ध घुमंतू, टपरीवास जाति या पिछड़े वर्ग/समाज के अन्य वर्ग से संबंधित हो। सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंकों का न्यूनतम प्रतिशत और प्रोत्साहन की दर निम्नानुसार है:—

क्र0 स0	प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतू पास की जाने वाली परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता		कक्षा जिनमें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी	प्रोत्साहन राशि की दर (राशि रू0में)
		शहरी	ग्रामीण		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.अनूसूचित जाति, विमुक्त जाति, धुमन्तु/अर्ध धुमन्तु एवं टपरीवास जातियों के छात्रों हेतू					
	मैट्रिक	70	60	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिंकेट कोर्स का प्रथम वर्ष	8000
	102	75	70	ग्रेजुऐशन का प्रथम वर्ष: 1. आर्टस, 2. कॉमर्स/साईस व सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष 3. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 4. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सज	 8000 11000 12000
	ग्रेजुऐशन	65	60	पोस्ट ग्रेजुऐशन का प्रथम वर्ष: 1. आर्टस, कॉमर्स, साईस 2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी/व्यवसायिक कोर्सिज 3. एम0डी/एम0एस0, अलाईड मैडिकल कोर्सज	 9000 11000 12000
2.अन्य पिछड़े वर्ग (ब्लाक—ए) के छात्रों हेतू					
	मैट्रिक	70	60	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिंकेट का प्रथम वर्ष	8000
3.अन्य पिछड़े वर्ग (ब्लाक—बी) के छात्रों हेतू /समाज के अन्य वर्ग					
	मैट्रिक	80	75	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिंकेट का प्रथम वर्ष	8000

2) **अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**— इस योजना के तहत पोस्ट—मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों प्रतिवर्ष को सभी अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क के साथ शैक्षणिक भत्ता के रूप में 2500 रुपये से लेकर 13500 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, बशर्ते माता—पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3) **अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** इस योजना के तहत पोस्ट–मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष शैक्षणिक भत्ता और शिक्षण शुल्क के रूप में 5000 रुपये से लेकर 20000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ग) राज्य में वर्ष 2019–20 से आज तक अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में सरकार द्वारा किए गए भुगतान का वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा लाभान्वित हुए छात्रों की संख्या कितनी है?

1) **डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्र संशोधित योजना**–वर्ष 2019–20 से वर्षवार खर्चे तथा लाभान्वित छात्रों की संख्या का विवरण निम्न अनुसार हैः–

(रू0 लाखों में)

वर्ष	खर्च राशि	लाभान्वित छात्रों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग
2019-20	3487.45	25878	18608
2020-21	3507.42	25080	26390
2021-22	2499.15	21503	9288
2022-2023 (up to 30-11-2022	2117.90	16796	8363

नोट– वर्ष 2022–23 में जो राशि खर्च की गई हैख वह वर्ष 2021–22 के लम्बित आवेदन पत्रों पर की गई है। वर्ष 2022–23 के लिए दिनांक 01–12–2022 से 31–01–2023 तक ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।

2) **अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**– वर्ष 2019–20 से वर्षवार खर्चे तथा लाभान्वित छात्रों की संख्या का विवरण निम्न अनुसार हैः–

(रू0 लाखों में)

वर्ष	खर्च राशि	लाभान्वित छात्रों की संख्या
2019-20	3029.88	31604
2020-21	9859.58	42597
2021-22	9888.05	50735

3) **अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**– वर्ष 2019–20 से वर्षवार खर्चे तथा लाभान्वित छात्रों की संख्या का विवरण निम्न अनुसार हैः–

(रू0 लाखों में)

वर्ष	खर्च राशि	लाभान्वित छात्रों की संख्या
2019-20	85.64	5627
2020-21	458.82	33424
2021-22	1401.49	31352